पूरन सिंह

बनाम

उत्तरांचल राज्य

(सी.आर.एल. ए. नं. 437, 2006)

10 जनवरी 2008

[सी. के. ठक्कर व डी.के. जैन न्यायमूर्तिगण]

दंड संहिता, 1860 - धारा 302 - मानवहत्या से मृत्यु - आग्नेयास्त्र की चोट के कारण - बंदूक और खाली कारतूस की बरामदगी - माना गया: बैलिस्टिक विशेषज्ञ की राय के अनुसार, कारतूस बरामद हुआ जो कथित तौर पर आरोपी द्वारा इस्तेमाल की गई बंदूक से नहीं चलाया गया था - इसलिए, आरोपी संदेह के लाभ का हकदार है- उच्च न्यायालय द्वारा ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज दोषमुक्ति को रद्द करना उचित नहीं है।

भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 136 - पहली बार सुप्रीम कोर्ट में नई प्रार्थना आम तौर पर अनुमत नहीं। यद्यपि, मामले के तथ्यों में, नई प्रार्थना पर विचार किया जा रहा है क्योंकि इस याचिका के समर्थन में पर्याप्त सामग्री पहले से ही रिकॉर्ड पर है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपीलकर्ता ने अपने भाई पर गोलियां चलाकर उसकी हत्या कर दी। संपत्ति विवाद को लेकर अपीलकर्ता की कथित तौर पर मृतक से दुश्मनी थी। ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया। उच्च न्यायालय ने आईपीसी की धारा 302 के तहत आरोपी-अपीलकर्ता को बरी करने और दोषी ठहराए जाने के आदेश को रद्द कर दिया।

अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को इस न्यायालय के समक्ष इस आधार पर चुनौती दी गई है कि जिस गोली से मृतक घायल हुआ था वह अपीलकर्ता के पास से बरामद बंदूक से नहीं चली थी।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए आदेश दिया की-

1.1 अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी-अपीलकर्ता द्वारा अपराध करने यानी मृतक की मौत के लिए इस्तेमाल किया गया हथियार दो खाली कारतूस के साथ बरामद किया गया था। पी.डब्लू-8, पटवारी ने अपने ठोस साक्ष्य में कहा कि वह आरोपी के घर गया और उसे गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने आगे कहा कि आरोपी ने उन्हें अपनी सिंगल बैरल बारह बोर की लाइसेंसी बंदूक (एक्स.1) और दो कारतूस (एक्स.6 और 7) दिए, जो अलग-अलग सीलबंद थे। [पैरा 18,21] [499-ए, एफ]

1.2. फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रयोगशाला को दो 12 बोर के.एफ. के साथ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का एक पत्र प्राप्त हुआ। ई.सी.1 और 2 के रूप में चिह्नित विशेष खाली कारतूस और बंदूक का एक टुकड़ा 12 बोर सिंगल बैरल नंबर 1319। तब यह कहा गया कि परीक्षक ने बंदूक से पांच गोलियां चलाईं जिन पर टी.सी. 1 से टी.सी. 5. का निशान था। टी.सी.1, टी.सी.2 और टी.सी.5 विफल हो गए और बाकी सफलतापूर्वक फायर हो गए। ई.सी.1 और ई.सी.2 के संबंध में कहा गया कि फायरिंग पिन के निशान मिले हैं। लेकिन E.C.2 पर, संकेत विशिष्ट नहीं थे। E.C.1 के कैप में उल्लंघन का संकेत था और E.C.2 में उल्लंघन का मामूली संकेत था। बैलिस्टिक विशेषज्ञ की राय के अनुसार, कारतूस ई.सी.1 को सिंगल बैरल 12 बोर नंबर 1319 से नहीं चलाया गया था, जिसके बारे में कहा गया है कि आरोपी ने इसका इस्तेमाल किया था। इसलिए, अपीलकर्ता संदेह का लाभ पाने का हकदार है। [पैरा 22, 23] [499-जी, एच; 500-ए, 3]

2. जहां तक आरोपी-अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दे का संबंध है कि विचाराधीन गोली उसकी बंदूक से नहीं चलाई गई थी, इसे न तो सत्र न्यायालय (ट्रायल कोर्ट) के समक्ष उठाया गया था और न ही उच्च न्यायालय (अपीलीय न्यायालय) के समक्ष उठाया गया था।

हालाँकि संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत किसी अपील में पहली बार इस न्यायालय में कोई नई याचिका उठाने की अनुमति नहीं है, लेकिन इस पर विचार किया गया है क्योंकि ऐसी याचिका के समर्थन में पर्याप्त सामग्री पहले से ही अभिलेख पर है। [पैरा 14, 15] [497-डी, ई]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 437/2006।

उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल के दिनांक 25.10.2005 के अंतिम निर्णय एवं आदेश से जी.ए. क्रमांक 1006/2001.

पवन कुमार बहल, आर.एस. रौताला और सुधा गुप्ता अपीलकर्ता की ओर से ।

प्रतिवादी की ओर से रचना श्रीवास्तव और नूरुल्लाह।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति सी.के. ठक्कर द्वारा सुनाया गया।

1. वर्तमान अपील अपीलकर्ता-अभियुक्त द्वारा उत्तरांचल उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज दोषसिद्धि और सजा के आदेश दिनांक 25 अक्टूबर 2005 के खिलाफ सरकारी अपील संख्या 1006/2001 में दायर की गई है। उक्त आदेश के द्वारा, उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायाधीश, चमोली द्वारा 6 फरवरी 1981 को सत्र विचारण संख्या 15, 1979 में दर्ज किए गए दोषमुक्ति के आदेश को रद्द कर दिया और आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा भुगतने का आदेश दिया।

2. अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि पुशु के दो बेटे थे- (i) भवन सिंह और (ii) भाग चंद। भवन सिंह को कोई संतान नहीं हुई और वह अपने पीछे अपनी विधवा श्रीमती रुक्मणि देवी को छोड़कर मर गये। भाग चंद अपने पीछे चार पुत्र छोड़कर मर गये;

(i) शिवराज सिंह, (ii) इंद्र सिंह, (iii) राजपाल सिंह (मृतक) और (iv) पूरन सिंह (आरोपी)। चारों भाई (भाग चंद के पुत्र) ग्राम अखौरी, पटवारी सर्किल सारब, तहसील उखीमठ, जिला चमोली से लगभग दो किलोमीटर की दूरी पर जंगल में रहते थे। रुक्मणी देवी के स्वामित्व और क़ब्ज़े वाली संपत्ति को लेकर एक ओर आरोपी पूरन सिंह और दूसरी ओर अन्य तीन भाइयों के बीच अक्सर झगड़े होते थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार, रुक्मणी देवी ने अपनी संपत्ति एक पंजीकृत गिफ्ट-डीड के माध्यम से आरोपी पूरन सिंह को उपहार में दे दी थी और अन्य तीन भाइयों को अपने हिस्से से वंचित कर दिया था। 3 अगस्त 1979 को लगभग 4 बजे, पीडब्लू5-श्रीमती रामदेई, पीडब्ल्यू 4-शिवराज सिंह की बेटी, जो ग्राम अखौरी में अपने मायके आई थी, अपनी मूक-बधिर मां श्रीमती स्वानरी देवी अपने घर के पास धान पीस रही थी। तभी आरोपी पूरन सिंह शिवराज सिंह की गौशाला की ओर आया और शिवराज सिंह की भैंस को पीटने लगा. श्रीमती रामदेई और उसकी मां ने आपत्ति जताई। इस पर आरोपी भड़क गया और उसने शिवराज सिंह की पत्नी को पीटने के लिए उसके बाल पकड़ लिए. तभी वहां शिवराज सिंह पहुंच गए और उन्होंने आरोपियों को चेतावनी दी। आरोपी कमरे के अंदर गया, अपनी लाइसेंसी बंदूक लाया और शिवराज सिंह पर गोली चला दी, जो सौभाग्य से सुरक्षित बच गए। शोर सुनकर, शिवराज सिंह के अन्य दो भाई, पीडब्लू 2-इंद्र सिंह और राजपाल सिंह (मृतक), यह पूछने के लिए बाहर आए कि क्या हुआ था। आरोपी ने उनके प्रति भी अपना गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया। इसलिए, दोनों ने वहाँ से पीछे हटने का फैसला किया । हालांकि, आरोपी ने उनका पीछा किया जो अपनी बंदूक ले जा रहा था। PW2- इंद्र सिंह ने राजपाल सिंह (मृतक) को तेजी से भागने के लिए कहा ताकि वे बच सकें। दुर्भाग्यवश, राजपाल सिंह ने अपना चेहरा पीछे की ओर कर लिया देखें कि आरोपी उससे कितनी दूर था। आरोपी ने गोली चला दी और बंदूक की गोली राजपाल सिंह के चेहरे और सिर पर लगी। राजपाल सिंह जमीन पर गिर गए। इस बीच, पीडब्लू 3-श्रीमती बरदेई, इंद्र सिंह की पत्नी और पीडब्लू 6-बिमला, राजपाल सिंह की नाबालिग बेटी, अन्य बच्चों और परिवार के सदस्यों के

साथ घटना स्थल के पास पहुंची। वे इस तरह घटना देख सकते थे। इंद्र सिंह को आरोपियों ने धमकी दी थी और वह अपने घर के अंदर चले गए और खुद को बचाया। राजपाल सिंह बेहोश हो गए और तब तक ऐसे ही पड़े रहे जब तक उन्हें मृत घोषित नहीं कर दिया गया।

3. प्रारंभ में, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में अपीलकर्ता-अभियुक्त के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 के तहत दंडनीय अपराध के साथ-साथ शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 और 27 के तहत दंडनीय अपराध के लिए मामला दर्ज किया गया था। हालांकि, राजपाल सिंह की मृत्यु के बाद आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए आरोप तय किया गया था। मामला सत्र न्यायालय, चमोली को समर्पित किया गया। अभियुक्त की एक याचिका दर्ज की गई जिसमें उसने कोई भी अपराध करने से इनकार किया और मुकदमा चलाने का दावा किया।

4. अभियुक्त के खिलाफ मामला स्थापित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने आठ गवाहों की जांच की। उनमें से चार गवाह चश्मदीद गवाह थे, अर्थात, पी.डब्लू.2-इंद्र सिंह, पी.डब्लू.3-श्रीमती बरदेई, पी.डब्लू.5-श्रीमती रामदेई और पी.डब्लू.6-कुमारी बिमला। पी.डब्लू.1-प्रताप सिंह- गांव के प्रधान, पीडब्लू7-डॉ. डी.सी.अवस्थी और पी.डब्लू.8-मित्रा नंद-पटवारी की भी जांच की।

5. जहां तक मृतक राजपाल सिंह की मृत्यु का सवाल है, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि उनकी मृत्यु एक मानव वध के कारण हुई और यह उनके द्वारा लगी आग्नेयास्त्र की चोटों के कारण हुई थी। पी. डब्ल्यू. 7- डॉ.अवस्थी, जिन्होंने पोस्टमॉर्टम किया, ने मृतक के शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाईं;

(1) बन्दूक की चोट 1½ सेमी व्यास में गोलाकार, खोपड़ी के पार्श्विका क्षेत्र के दाहिनी

ओर उल्टे किनारों के साथ, दाहिने कान के शीर्ष से 5 सेमी ऊपर और दाहिनी आंख के बाहरी कोने से 10 सेमी की दूरी पर एक क्षेत्र पर गोदना (काले कार्बन कणों के साथ गर्भवती) चेहरे के दाहिनी ओर, माथे और घाव के आसपास 12 सेमी X 10 सेमी। यह प्रवेश का घाव था:

(2) बंदूक़ से लगी चोट अंडाकार आकार की 2½ सेमी X 1 सेमी और अनियमित उलटे किनारों के साथ चोट संख्या 1 से 2 सेमी पीछे। इसके आसपास खून का थक्का जमा हुआ था। यह बाहर निकलने का घाव था.

(3) बंदूक़ से कटा हुआ घाव 1 सेमी X 1/2 सेमी आकार में अनियमित, 2 सेमी नीचे और चोट संख्या 2 के पीछे। यह बाहर निकलने का घाव था.

(4) आग्नेयास्त्र से कटा हुआ घाव 1 सेमी X ¾ सेमी आकार में अनियमित, चोट संख्या 2 से 2 सेमी पीछे। यह बाहर निकलने का घाव था.

6. इसलिए, अभियोजन पक्ष द्वारा यह स्पष्ट रूप से साबित किया गया कि मृतक राजपाल सिंह की मानववध प्रकृति में हत्या थी और यह उसे लगी बंदूक की चोटों के कारण हुई थी।

7. ट्रायल कोर्ट ने प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्य पर विचार किया और पाया कि मामूली विरोधाभासों को छोड़कर, उनके साक्ष्य में कोई अंतर्निहित असंभवता नहीं थी। हालांकि, उन्होंने पाया कि जांच अधिकारी के साक्ष्य और चेक रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों से एफआईआर और संबंधित मामले के पंजीकरण की जी.डी. प्रविष्टियाँ, 3 अगस्त, 1979 को नहीं बल्कि किसी अन्य तारीख पर बाद के चरण में की गईं। इस प्रकार 'परामर्श और विचार-विमर्श के लिए हर अवसर था।' ट्रायल कोर्ट ने यह भी देखा कि अभियुक्त ने कहा कि राजपाल सिंह (मृतक) एक सह-ग्रामीण (बचन सिंह) की बंदूक से चली गोली से घायल हो

गया था जब मृतक अपने भाई इंद्र सिंह और बचन सिंह (सह-ग्रामीण) के साथ शिकार के लिए गया था। ट्रायल कोर्ट के अनुसार, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन संदिग्ध परिस्थितियों को देखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के अपराध को 'पूरी तरह से और सभी उचित संदेह से परे' स्थापित करने में सफल रहा है. मामले को ध्यान में रखते हुए, ट्रायल कोर्ट के अनुसार, आरोपी संदेह का लाभ पाने का हकदार था। तदनुसार, ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया।

8. सत्र न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए दोषमुक्ति के आदेश से व्यथित होकर, राज्य ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378 के तहत अपील की। राज्य द्वारा यह तर्क दिया गया कि एक बार अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य पर विश्वास कर लिया गया था। न्यायालय ने पाया कि उक्त साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है, न्यायालय को आरोपी को दोषी ठहराना चाहिए था। यह आग्रह किया गया था कि जब ट्रायल कोर्ट को अभियोजन साक्ष्य में कोई भौतिक विरोधाभास या अंतर्निहित असंभवता नहीं मिली, तो आरोपी को बरी करने में कोर्ट पूरी तरह से गलत था।

9. उच्च न्यायालय ने गवाहों के साक्ष्य की फिर से सराहना की और माना कि ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किया गया बरी करने का आदेश पूरी तरह से अस्थिर और पूरी तरह से अनुचित था। तदनुसार, उच्च न्यायालय ने बरी करने के आदेश को रद्द कर दिया और आरोपी-अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया और उसे पहले की तरह आजीवन कारावास की सजा भुगतने का आदेश दिया।

10. अभियुक्त ने वर्तमान अपील दायर करके उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज दोषसिद्धि और सजा के आदेश को चुनौती दी है। 10 अप्रैल, 2006 को अपील स्वीकार की गई और जमानत

के लिए प्रार्थना पर नोटिस जारी किया गया। 24 नवंबर, 2006 को, जब मामले की सुनवाई हुई, तो अदालत ने अपील की अंतिम सुनवाई तय की और कहा कि उस आदेश के मद्देनजर, जमानत आवेदन पर विचार करना आवश्यक नहीं था। तदनुसार अंतिम सुनवाई के लिए अपील हमारे समक्ष रखी गई है।

11. हमारे द्वारा पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया।

12. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने कई तर्क उठाए। परंतु, हमारी राय में, सभी विवादों से निपटना आवश्यक नहीं है क्योंकि यह अपील संक्षिप्त आधार पर अनुमति देने योग्य है।

13. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने आग्रह किया कि बैलिस्टिक विशेषज्ञ की राय से, यह स्पष्ट था कि जिस गोली से मृतक को चोट लगी थी, वह बंदूक से नहीं चली थी, जिसके बारे में कहा गया था कि अपीलकर्ता ने उसका इस्तेमाल किया था, जो उसके पास से बरामद हुई थी और विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा जांच की गई। यदि ऐसा है, तो अभियोजन पक्ष अभियुक्त के अपराध को साबित करने और यह स्थापित करने में सफल नहीं रहा कि यह अभियुक्त की बंदूक थी जिसने मृतक राजपाल सिंह को आग्नेयास्त्र से चोट पहुंचाई थी जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई थी।

14. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय में अभियुक्तों के विद्वान वकील द्वारा उठाया गया मुद्दा न तो सत्र न्यायालय (ट्रायल कोर्ट) के समक्ष उठाया गया था और न ही उच्च न्यायालय (अपीलीय न्यायालय) के समक्ष उठाया गया था। इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपील में पहली बार इस तरह के

किसी भी मुद्दे को उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

15. हमने विद्वान सरकारी वकील की दलील पर विचार किया होता, लेकिन यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत हैं कि अभियुक्त के वकील द्वारा जिस बात पर बहस करने की मांग की गई है, उसमें दम है और दलील के समर्थन में पर्याप्त सामग्री पहले से ही अभिलेख/रिकॉर्ड पर उपस्थित है।

16. प्रदर्श का.3, 4 अगस्त 1979 का गिरफ्तारी पंचनामा है जब आरोपी को सुबह लगभग 8 बजे पकड़ा गया था। गिरफ्तारी ज्ञापन और जब्ती ज्ञापन में यह कहा गया था कि 'अभियुक्त के शरीर से कोई वस्तु बरामद नहीं हुई और पुलिस ने कुछ भी जब्त नहीं किया।' आरोपी के पास कपड़े पहनने के अलावा कुछ नहीं था। 4 अगस्त 1979 को पटवारी सर्किल, बरब, तहसील ओखीमठ द्वारा दैनिक डायरी में उल्लेख किया गया था कि 4 अगस्त 1979 को सुबह लगभग 5.30 बजे पटवारी ग्राम सेनगाडमारी से घटनास्थल के लिए रवाना हुए। घटनास्थल पर उन्हें घायल राजपाल सिंह ग्रामीणों के कब्जे में मिला। घायल की सांसें चल रही थीं लेकिन वह बेहोश था। पटवारी ने राजपाल सिंह से घटना के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की लेकिन वह कुछ बोल नहीं सका। हालांकि घायल को उपचार दिया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई।इसके बाद वहां मौजूद लोगों की उपस्थिति में मार्ग (इंक्वेस्ट) पंचनामा तैयार किया गया। 3 अगस्त 1979 को प्रधान प्रताप सिंह की रिपोर्ट के आधार पर आईपीसी की धारा 307 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन राजपाल सिंह की मृत्यु हो गई और मामला आईपीसी की धारा 302 के तहत दर्ज किया गया। यह कहा गया था कि "चूंकि घायल राजपाल सिंह की मृत्यु आरोपी पूरन सिंह पुत्र भाग चंद द्वारा जानबूझकर गोली चलाने के कारण हुई थी, इसलिए, आरोपी पूरन सिंह को हिरासत में ले लिया गया है और हत्या में प्रयुक्त हथियार यानी बंदूक 1319V -1970, लाइसेंस नंबर

697/एमएलआई-74 और दो खाली कारतूस बोर-12 आरोपी के पास से बरामद कर गवाहों की मौजूदगी में मौके पर ही सील कर दिया गया।"

17. जब्ती मेमो उसी दिन तैयार किया गया था जिसमें इस प्रकार लिखा था:

"आज दिनांक 4.8.79 को (1) श्री प्रताप सिंह, प्रधान ग्राम पंचायत अखौरी, (2) श्री बचन सिंह पुत्र राम सिंह, (3) श्री भोपाल सिंह पुत्र तिलक सिंह, ग्राम अखौरी, मण्डल-बराब की उपस्थिति में मुकदमा संख्या 4/79 में प्रताप सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत अखौरी बनाम अभियुक्त पूरन सिंह पुत्र भाग चंद, ग्राम अखौरी के माध्यम से धारा 302 आईपीसी और 25/27 शस्त्र अधिनियम के तहत बताया गया, अभियुक्त की लाइसेंसी बंदूक और गोला-बारूद भी मंगाया गया। फिर आरोपी पूरन सिंह ने अपनी सिंगल बैरल बंदूक, गोली 12 बोर नंबर 1319 वी-1970, लाइसेंस नंबर 697/एमएल 4/34-वी, बुकलेट, दो खाली कारतूस जिस पर केएफ-12 पुलिस को सौंप दिया। स्पेशल 12 लिखा हुआ है मेड इन इंडिया बाय ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज और इसे पुलिस ने जब्त कर लिया। आरोपी से अन्य कारतूस सौंपने को कहा गया। जिसकी उपलब्धता से आरोपी ने इनकार कर दिया। जब बंदूक खुली थी तो उसमें कारतूस लोड नहीं था। उपरोक्त बरामद सामान अलग-अलग बोरी/पैकेट में रखा गया और सील कर दिया गया। गवाहों की उपस्थिति में मेमो तैयार किया गया और उनके हस्ताक्षर लिए गए।"

18. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अभियोजन के अनुसार भी, अभियुक्त द्वारा अपराध करने यानी मृतक राजपाल सिंह की मौत के लिए इस्तेमाल किया गया हथियार दो खाली कारतूस के साथ बरामद किया गया था। मुदामल बंदूक और खाली कारतूसों को फिर फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, लखनऊ भेजा गया, जिनकी प्रयोगशाला द्वारा जांच की गई।

19. अभियोजन पक्ष के गवाह, जिन्हें प्रत्यक्षदर्शी के रूप में उद्धृत किया गया था और शपथ पर जांच की गई थी, ने यह भी कहा है कि अपराध के लिए इस्तेमाल की गई बंदूक बरामद कर ली गई थी और आरोपी ने उक्त बंदूक से मृतक को चोटें पहुंचाई थीं। उदाहरण के लिए, PW2-इंद्र सिंह को बंदूक (एक्स. 1) दिखाई गई थी और ट्रायल कोर्ट द्वारा यह देखा गया था कि "बंदूक एक्स. 1 को देखकर गवाह ने बताया कि यह वह बंदूक है जिससे पूरन सिंह ने गोली चलाई थी"। इसी तरह, PW4-शिवराज सिंह ने कहा कि यह वही बंदूक थी। पैरा 6 में, यह देखा गया है; "साक्षी को Ex.Ka-1 दिखाया गया। उसने कहा कि इस बंदूक से पूरन सिंह ने गोली चलाई थी।"

20. जहां तक चिकित्सा साक्ष्य का सवाल है, पी.डब्लू. 7-डॉ. अवस्थी का ये कहना था:

> "मेरी राय में, मृत्यु कोमा के कारण हुई थी, जो हाथ से निकली किसी आग के कारण सिर पर लगी चोट के परिणामस्वरूप हुई थी, जो सामान्य स्थिति में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी।"

21. पीडब्लू 8-मित्रा नंद, पटवारी ने अपने ठोस साक्ष्य में कहा, कि वह आरोपी के घर गया और उसे गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने आगे कहा कि आरोपी ने उन्हें अपनी सिंगल बैरल बारह बोर की लाइसेंसी बंदूक (एक्स.1) और दो कारतूस (एक्स.6 और 7) दिए, जो अलग-अलग सीलबंद थे।

22. फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की 28 नवंबर 1979 की रिपोर्ट भी रिकॉर्ड में है. इसमें कहा गया है कि प्रयोगशाला को दो 12 बोर के.एफ. के साथ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चमोली (गोपेश्वर) से एक पत्र प्राप्त हुआ। विशेष खाली कारतूसों पर ई.सी.1 और 2 अंकित हैं

और बंदूक का एक टुकड़ा 12 बोर सिंगल बैरल नंबर 1319 है। तब यह कहा गया कि परीक्षक ने बंदूक से पांच गोलियां चलाईं जिन पर टी.सी. अंकित था। 1 से टी.सी. 5. टी.सी.1, टी.सी.2 और टी.सी.5 विफल हो गए और बाकी सफलतापूर्वक फायर हो गए। ई.सी.1 एवं ई.सी.2 के संबंध में बताया गया कि फायरिंग पिन के निशान मिले हैं। लेकिन E.C.2 पर, संकेत विशिष्ट नहीं थे। E.C.1 के कैप में उल्लंघन का चिन्ह था और E.C.2 में उल्लंघन का मामूली B चिन्ह था। परीक्षण के आधार पर एक निष्कर्ष दिया गया जो परिणाम के रूप में है और इस प्रकार से है:

परिणाम:

(ए) विचाराधीन ई.सी.1 कारतूस को सिंगल बैरल 12 बोई नंबर 319 चिह्नित 1/79 बंदूक से नहीं चलाया गया था।

(ii) प्रश्नगत ई.सी.2 कारतूस की 1/79 अंकित बंदूक संख्या 1319 12 बोर से चलाई गई गोली से कोई तुलनात्मक विशेषता नहीं है।

(बी) बंदूक से दूषित पदार्थ की रासायनिक जांच करने पर बंदूक से नाइट्रेट पाया गया, इसलिए यह निष्कर्ष निकाला गया कि अंतिम शॉट के बाद बंदूक को साफ नहीं किया गया था, लेकिन 3/8/79 को बंदूक से गोली चलाई गई थी या नहीं, पदनाम वैज्ञानिक राय एक संभावना नहीं है. (जोर दिया जाये)

23. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बैलिस्टिक विशेषज्ञ की राय के अनुसा, कारतूस ई.सी. 1 को सिंगल बैरल 12 बोर नंबर 1319 से नहीं चलाया गया था, जिसके बारे में कहा जाता है कि आरोपी ने इसका इस्तेमाल किया था। इसलिए, हमारी राय में, अपीलकर्ता अभियुक्त संदेह का लाभ पाने का हकदार है।

24. उपरोक्त कारणों से, अपील स्वीकार किये जाने योग्य है और तदनुसार अनुमति दी

जाती है। उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज दोषसिद्धि और सजा के आदेश को रद्द कर दिया जाता है और अपीलकर्ता को संदेह का लाभ दिया जाता है और बरी करने का आदेश दिया जाता है। चूंकि अपीलकर्ता जेल में है, इसलिए उसे तुरंत रिहा करने का आदेश दिया जाता है यदि किसी अन्य मामले में उसकी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है।

25. तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है।

बी.बी.बी. अपील स्वीकार की गयी

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पढ़ने वाले व्यक्ति के इस सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सके। यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु, निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।